



Harayana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025 (PAUSA 10, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति (सरकार की सक्षमता को छोड़कर) सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से	60 दिन	ज़िला नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य नगर योजनाकार/वरिष्ठ नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण

2	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से	90 दिन	ज़िला नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य नगर योजनाकार/वरिष्ठ नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण
3	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त स्थलों के लिए अधिभोग प्रमाण—पत्र जारी करना (बशर्ते अपराध का शमन अन्तर्वलित न हो) सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से	60 दिन	ज़िला नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य नगर योजनाकार/वरिष्ठ नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण
4	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त स्थलों के लिए अधिभोग प्रमाण—पत्र जारी करना (बशर्ते अपराध का शमन अन्तर्वलित हो) सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से	90 दिन	ज़िला नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य नगर योजनाकार/वरिष्ठ नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण
5	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	हरियाणा अनुसूचित सङ्क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के उपबंधों के अधीन ईट—भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए अनुज्ञाप्ति सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य नगर योजनाकार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 31st December, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Sonipat Metropolitan Development Authority under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the Authority	Name of Service	Given Time limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Sonipat Metropolitan Development Authority	Change of land use permission for units situated within SMDA area (except competency of the Government) From the date of receipt of complete documents	60 Days	District Town Planner, SMDA	Chief Town Planner/Senior Town Planner, SMDA	Chief Executive Officer, SMDA
2	Sonipat Metropolitan Development Authority	Sanction of Building Plans of the CLU permission granted sites by SMDA From the date of receipt of complete documents	90 Days	District Town Planner, SMDA	Chief Town Planner/Senior Town Planner, SMDA	Chief Executive Officer, SMDA
3	Sonipat Metropolitan Development Authority	Issue of Occupation for the CLU permission granted sites by SMDA (Provided composition of offence is not involved) From the date of receipt of complete documents	60 Days	District Town Planner, SMDA	Chief Town Planner/Senior Town Planner, SMDA	Chief Executive Officer, SMDA
4	Sonipat Metropolitan Development Authority	Issue of Occupation Certificate for the CLU permission granted sites by SMDA (Provided composition is involved) From the date of receipt of complete documents	90 Days	District Town Planner, SMDA	Chief Town Planner/Senior Town Planner, SMDA	Chief Executive Officer, SMDA
5	Sonipat Metropolitan Development Authority	License for the brick kilns, Charcoal kilns under the provisions of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Area Restrictions of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) From the date of receipt of complete documents	30 Days	Senior Town Planner, SMDA	Chief Town Planner, SMDA	Chief Executive Officer, SMDA

ANURAG RASTOGI,
 Chief Secretary to Government, Haryana.